



कार्यालय कार्यक्रम प्रबन्धक, पी.आई.यू., (पी.डब्ल्यू.डी.)  
यू.—प्रिपेयर, देहरादून, उत्तराखण्ड



OFFICE OF PROGRAM MANAGER, P.I.U., (PWD), U-PREPARE, DEHRADUN, UTTARAKHAND  
(पंचमतल, यू.एस.डी.एम.ए.बिल्डिंग, 36 आईटीपार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून-248001)

E-mail: piupwd@ukdisasterrecovery.in

पत्रांक: 242/13E/PIU/PWD/U-PREPARE/2025

दिनांक: 07 / 04 / 2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
पिथौरागढ़।

**विषय:**—यू—प्रिपेयर परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सेतु 105M Span Intermediate Lane Motor Bridge over Saryu River in bankot-Badgiri-Sapteshwar Motor Road हेतु यू—प्रिपेयर के Environment Social Management Framework (ESMF) और Resettlement Policy Framework (RPF) के अनुसार प्रभावित परिवार को एकमुश्त आजीविका सहायता प्रदान करने हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि यू—प्रिपेयर परियोजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में 105M Span Intermediate Lane Motor Bridge over Saryu River in bankot-Badgiri-Sapteshwar Motor Road का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसका दिनांक 15—03—2024 को उक्त कार्य हेतु LOA जारी किया जा चुका है तथा अनुबन्ध गठन किया जाना है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पी०आई०यू०—पी०डब्ल्यू०डी० एवं एफ०—पी०आई०यू० (प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़) के अधिकारियों द्वारा दिनांक 04—08—2024 को सेतु के संयुक्त निरीक्षण में LHS (A1) में स्थित श्री गोविन्द सिंह पुत्र बचे सिंह की चाय की दुकान परियोजना प्रभावित क्षेत्र में पायी गयी। यह दुकान लोक निर्माण विभाग की भूमि पर संचालित है। दुकानदार को भूमि पर अवैध कब्जाधारी (Non-title holder) के रूप में चिह्नित किया गया था।

इस सम्बन्ध में यू—प्रिपेयर परियोजना के Environment Social Management Framework (ESMF) और Resettlement Policy Framework (RPF) के अनुसार प्रभावित परिवार को एकमुश्त आजीविका सहायता प्रदान किये जाने हेतु Resettlement Action Plan (RAP) तैयार किया गया है। अवैध कब्जाधारी (Non-title holder) को R&R Act 2013 के अनुसार एकमुश्त आजीविका सहायता प्रदान किये जाने हेतु धनराशि रु० 1,60,074/-भुगतान किया जाना है।

अतः उक्त के क्रम में अवैध कब्जाधारी (Non-title holder) को धनराशि धनराशि रु० 1,60,074/- नियामनुसार भुगतान करते हुये उक्त की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह पत्र सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात जारी किया जा रहा है।

  
उप कार्यक्रम प्रबन्धक  
पी०आई०यू० (पी०डब्ल्यू०डी०)  
यू—प्रिपेयर, देहरादून।

**प्रतिलिपि:**—निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कार्यक्रम निदेशक, पी०एम०यू०, यू—प्रिपेयर, देहरादून।
2. कार्यक्रम प्रबन्धक, पी०आई०यू०, पी०डब्ल्यू०डी०, यू—प्रिपेयर, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, पी०आई०यू०, पी०डब्ल्यू०डी०, यू—प्रिपेयर, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, पी०एम०यू०/पी०आई०यू०, पी०डब्ल्यू०डी०, यू—प्रिपेयर, देहरादून।

  
उप कार्यक्रम प्रबन्धक  
पी०आई०यू० (पी०डब्ल्यू०डी०)  
यू—प्रिपेयर, देहरादून।



कार्यालय कार्यक्रम प्रबन्धक, पी.आई.यू., (पी.डब्ल्यू.डी.)  
यू.—प्रिपेयर, देहरादून, उत्तराखण्ड



OFFICE OF PROGRAM MANAGER, P.I.U., (PWD), U-PREPARE, DEHRADUN, UTTARAKHAND  
(पंचमतल, यू.एस.डी.एम.ए.बिल्डिंग, 36 आई.टी.पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून—248001)

E-mail: piupwd@ukdisasterrecovery.in

पत्रांक: 242 / 11E/PIU/PWD/U-PREPARE/2025

दिनांक: 07 / 04 / 2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
पिथौरागढ़।

**विषय:**—यू.—प्रिपेयर परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सेतु 105M Span Intermediate Lane Motor Bridge over Saryu River in bankot-Badgiri-Sapteshwar Motor Road हेतु यू.—प्रिपेयर के Environment Social Management Framework (ESMF) और Resettlement Policy Framework (RPF) के अनुसार प्रभावित परिवार को एकमुश्त आजीविका सहायता प्रदान करने हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि यू.—प्रिपेयर परियोजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में 105M Span Intermediate Lane Motor Bridge over Saryu River in bankot-Badgiri-Sapteshwar Motor Road का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसका दिनांक 15—03—2024 को उक्त कार्य हेतु LOA जारी किया जा चुका है तथा अनुबन्ध गठन किया जाना है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पी०आई०यू०—पी०डब्ल्यू०डी एवं एफ०—पी०आई०यू० (प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़) के अधिकारियों द्वारा दिनांक 04—08—2024 को सेतु के संयुक्त निरीक्षण में LHS (A1) में स्थित श्री गोविन्द सिंह पुत्र बचे सिंह की चाय की दुकान परियोजना प्रभावित क्षेत्र में पायी गयी। यह दुकान लोक निर्माण विभाग की भूमि पर संचालित है। दुकानदार को भूमि पर अवैध कब्जाधारी (Non-title holder) के रूप में चिह्नित किया गया था।

इस सम्बन्ध में यू.—प्रिपेयर परियोजना के Environment Social Management Framework (ESMF) और Resettlement Policy Framework (RPF) के अनुसार प्रभावित परिवार को एकमुश्त आजीविका सहायता प्रदान किये जाने हेतु Resettlement Action Plan (RAP) तैयार किया गया है। अवैध कब्जाधारी (Non-title holder) को R&R Act 2013 के अनुसार एकमुश्त आजीविका सहायता प्रदान किये जाने हेतु धनराशि रु० 1,60,074/-भुगतान किया जाना है।

अतः उक्त के क्रम में अवैध कब्जाधारी (Non-title holder) को धनराशि धनराशि रु० 1,60,074/- नियमनुसार भुगतान करते हुये उक्त की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह पत्र सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात जारी किया जा रहा है।

उप कार्यक्रम प्रबन्धक  
पी०आई०यू० (पी०डब्ल्यू०डी०)  
यू.—प्रिपेयर, देहरादून।

**प्रतिलिपि:**—निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कार्यक्रम निदेशक, पी०एम०यू०, यू.—प्रिपेयर, देहरादून।
2. कार्यक्रम प्रबन्धक, पी०आई०यू०, पी०डब्ल्यू०डी०, यू.—प्रिपेयर, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, स्तर—1, पी०आई०यू०, पी०डब्ल्यू०डी०, यू.—प्रिपेयर, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, पी०एम०यू० / पी०आई०यू०, पी०डब्ल्यू०डी०, यू.—प्रिपेयर, देहरादून।

उप कार्यक्रम प्रबन्धक  
पी०आई०यू० (पी०डब्ल्यू०डी०)  
यू.—प्रिपेयर, देहरादून।

*[Signature]*